## कार्यालय उप जिलाधिकारी, सदर मऊ

पत्रांक /आर0के0 आपदा/सदर मऊ दिनांक 13 मई,2021

### अति–अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद मऊ में कोविड–19 के दृष्टिगत पिछले वर्ष खाद्य राहत समाग्री छोटी किट व बडी किट का वितरण किया गया था। वर्तमान मे कोविड–19 के द्वितीय लहर के दृष्टिगत जारी लाकडाउन के कारण बाहर से आ रहे प्रवासी श्रमिको को राहत समाग्री किट बटने की सम्भावना जातायी गयी है। जिसके दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूर्व में तैयारी पूर्ण कर लेने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः पूर्व में जारी शासनादेश के क्रम में छोटी व बडी किट की मानक के अनुसार पैकेटिंग कर तहसील सदर तक उपलब्ध कराने हेतु अति–अल्पकालीन निविदा प्रकाशित की जाती है। अति–अल्पकालीन निविदा प्रकाशन होने के दिनांक से एक सप्ताह तक अपरान्ह्न 03:00 बजे तक रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय तहसील सदर से अति–अल्पकालीन निविदा प्रपत्र किसी भी कार्यदिवस (रविवार सहित) में सायं 05:00 बजे तक निर्धारित शुल्क का ड्राफ्ट उप जिलाधिकारी सदर के पदनाम से प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते है एवं निविदा प्रपत्र पूर्ण कर जमा कर सकते है। अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनाक 24.05.2021 को अपरान्ह्न 04:00 बजे तहसील सभागार में निविदादाता के समक्ष निविदा खोली जायेगी। कच्ची खाद्य राहत समाग्री छोटी किट व बडी किट हेतु निर्धारित मानक व मात्रा व निविदा के निर्धारित शर्तो की विस्तृत जानकारी www. maunic.in पर प्राप्त कर सकते है।

**(जयप्रकाश यादव)**
उप जिलाधिकारी
सदर –मऊ।

**पत्रांक 4883 /तद्दिनांक**
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) महोदय को सादर सूचनार्थ।
3. जिला सूचना अधिकारी मऊ को इस आशय से कि 02 दैनिक समाचार पत्रों में अति–अल्पकालिन निविदा का प्रकाशन कराने का कष्ट करें।
4. जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निविदा के संदर्भ में पूर्ण जानकारी व शर्ते वेबसाईट www. maunic.in पर ~~प्रकाशित~~ /uplode करने का कष्ट करे।
5. तहसीलदार सदर जनपद मऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त निविदा को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करे।

उप जिलाधिकारी
सदर –मऊ।

Scanned with CamScanner

# अति–अल्पकालीन निविदा की शर्ते

1. अति–अल्पकालीन निविदा प्रपत्र किसी भी कार्यदिवस(रविवार सहित) में साय 05:00 बजे तक निर्धारित शुल्क 500.00(रू0 पॉच सौ मात्र) का ड्राफ्ट उप जिलाधिकारी सदर मऊ के पदनाम से प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते है।

2. सभी निविदादाताओ द्वारा एक बड़े लिफाफे मे निविदा संख्या/फर्म के नाम अंकित करते हये प्रस्तुत करना होगा जिसमें दो सीलबन्द लिफाफे रखना होगा। पहला सीलबन्द लिफाफा तकनीकी शर्तो का और दूसरा सीलबन्द लिफाफा वित्तीय भाव का होगा।

3. निविदादाता के फर्म का जी0एस0टी0 में हुए पंजीकरण की छायाप्रति के साथ आयकर, पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

4. सभी निविदादाताओ द्वारा इस आशय का शपथ पत्र मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा कि उनकी फर्म काली सूची (blacklisted)में नहीं है।

5. सभी निविदादाताओ के फर्म की विगत तीन वर्षो की आडिट रिपोर्ट या बैलेन्स सीट, जिसमें प्रति वर्ष टर्न ओवर 25.00 लाख से कम न हो, की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6. आपदा अनुभाग में वर्ष 2019–20 में कम से कम 30.00 लाख आपूर्ति के अनुभव के प्रमाण पत्र की छायप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. सभी निविदादाताओ को निविदा खोलने के समय निविदा में संलग्न किये गये सभी अभिलेखों की मूल प्रति सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8. सम्बन्धित फर्म को निविदा स्वीकृत होने पर कोविड–19 के दृष्टिगत बेघर व्यक्ति, प्रवासी श्रमिक, लॉकडाउन के कारण फसे हुए व्यक्ति व राहत कैम्प एवं अन्य स्थलो पर शरण लिये हुए व्यक्तियो को पहुचाने वाला कच्ची सामाग्री किट तहसील पर पहुचाया जाना अनिवार्य होगा, जिसमें समाग्री का मूल्य, हैण्डलिंग, परिवहन आदि के समस्त प्रकार के व्यय सम्मिलित होगे।

9. टेण्डर खुलते समय आपूर्ति की जानेवाली सामाग्री का सैम्पल भी देना होगा तथा सामाग्री प्रिन्ट कार्टून बाक्स में गुणवत्ता के अनुरूप आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

10. सभी निविदादाताओ को उप जिलाधिकारी सदर मऊ के नाम रूपये 03.00 लाख का बैक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11. स्थानीय निवदादाताओं को आपूर्ति में प्राप्त होने वाले अल्प समय के दृष्टिगत कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत बेघर व्यक्ति, प्रवासी श्रमिक, लॉकडाउन के कारण फसे हुए व्यक्ति व राहत कैम्प एवं अन्य स्थलो पर शरण लिए व्यक्तियो का आपूर्ति करने हेतु तत्काल खाद्यान्न सामाग्री उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

12. उप जिलाधिकारी मऊ को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी भी समय निविदा को निरस्त कर दें तथा निविदा खोलते समय किसी अभिलेख की जॉच सम्बन्धी एवं अन्य शर्त सम्बन्धी अधिकार सुरक्षित होगा।

13. निविदा सम्बन्धी किसी भी विवाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय मऊ मान्य होगा।

13/05/2020

(संजीव कुमार यादव)
तहसीलदार
सदर–मऊ।

Scanned with CamScanner